

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक :— एफ 9 (5) (12-1) / सा. न्या. अ. वि./08-09 | ५४९६

दिनांक : 01-04-2013

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशननियम, 2013

राजस्थान राज्य के विशेष योग्यजनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति एवं उसके भुगतान हेतु, महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम "राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजनपेंशन नियम, 2013" है।  
(ii) ये नियम दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से लागू होंगे।
2. यह नियम "राजस्थान विशेष योग्यजनपेंशन नियम, 1965" को अतिष्ठित करते हैं।

पेंशन स्वीकृति के इस आदेश के जारी होने की तिथि को विचाराधीन लंबित आवेदन-पत्रों पर इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

परन्तु इन नियमों में अन्तर्विष्ट अन्य किसी बात के होते हुये भी इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों को "राजस्थान विशेष योग्यजननियम, 1965" के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की जा चुकी हैं अथवा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने की तिथि तक पेंशन प्राप्त करते रहेंगे।

ए

## अध्याय – 1

### 3. परिभाषाएँ :-

- (i) सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन से अभिप्रेत है, विशेष योग्यजनपेंशन जो इन नियमों के अधीन किसी विशेष योग्यजनको स्वीकृत की जाये।
- (ii) “मूल निवासी” से अभिप्रेत है जो राजस्थान का मूल निवासी हो एवं राजस्थान में निवास कर रहा हो
- (iii) “आय” से अभिप्रेत है, विशेष योग्यजनपेंशन प्रार्थी की स्वयं एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय, ग्रामीण क्षेत्र में रु 48,000/- तक एवं शहरी क्षेत्र में रु. 60,000/- तक हो। परिवार की परिभाषा में निम्नांकित सदस्य सम्मिलित होगे:-
  1. 18 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन के मामले में पिता एवं माता।
  2. 18 वर्ष व अधिक आयु के विशेष योग्यजन के मामले में पति/पत्नी।
- (iv) “पेंशन राशि” से अभिप्रेत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है जो निम्नानुसार है:-
  - (1) 8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रु. 250/- प्रतिमाह
  - (2) 8 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रु. 500/- प्रतिमाह
  - (3) 75 वर्ष व 75 वर्ष से अधिक आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रु. 750/- प्रतिमाह परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राइवेट निकाय/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।
- (v) “जांच अधिकारी” ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों के लिए, संबंधित तहसीलदार/अति.तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के आवेदनों के लिए, संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, जांच अधिकारी होंगे।

४

(vi) "स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी" ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के आय प्रमाण पत्र जारी करने तथा आवेदनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के रूप में प्रधान/उपप्रधान, संबंधित पंचायत समिति, सदस्य होंगे।

शहरी क्षेत्र के आवेदकों के आय प्रमाण पत्र जारी करने तथा आवेदनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, एवं संबंधित नगर निकाय के जनप्रतिनिधि के रूप में महापौर/उप महापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

(vii) ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी:-

1. उपखण्ड अधिकारी/उप खण्ड मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष
2. संबंधित विकास अधिकारी – सदस्य
3. प्रधान /उप प्रधान/ संबंधित क्षेत्र का पंचायत समिति सदस्य – सदस्य ।

(viii) शहरी क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी समिति निम्नानुसार होगी:-

1. उप खण्ड अधिकारी/उप खण्ड मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशासी अधिकारी संबंधित नगर निकाय – सदस्य
3. महापौर/उप महापौर/सभापति/उप सभापति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद – सदस्य

(ix) "पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित कोष/उप कोष कार्यालय के कोषाधिकारी (पेंशन भुगतान अधिकारी)/उप कोषाधिकारी (सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी) / अभिप्रेत है।

(x) "जिला पेंशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित जिले का जिला कलेक्टर अभिप्रेत है।

## अध्याय – 2

### विशेष योग्यजनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन

#### 4. पात्रता :

(i) किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रहा हो, एवं –

1. जिसकी स्वयं एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 48,000/- तक एवं शहरी क्षेत्र में रुपये 60,000/- तक हो, या
2. वह किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो जिसका चयन, ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधीन किए गए सर्वेक्षण में, गरीबी की रेखा की सीमा से नीचे के परिवार (केन्द्रीय बी.पी.एल./राज्य बी.पी.एल.) में या अन्त्योदय परिवार में किया गया है, यावह आरथा कार्डधारी परिवार का सदस्य है या वह सहरिया/कठौड़ी/खैरवा जाति का हो, पेंशन का पात्र होगा।

८

### अध्याय – 3

**विशेष योग्यजन पेंशन हेतु आवेदन,  
स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं निरीक्षण की प्रक्रिया**

#### 5. आवेदन देने एवं पेंशन स्वीकार करने की प्रक्रिया

(i) ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक, जिस तहसील/उप तहसील में निवास कर रहा है उस तहसील/उप तहसील के तहसीलदार/नायब तहसीलदार या विकास अधिकारी (पंचायत समिति) को तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित नगर निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारूप एस.एस.पी.-Iमें पेंशन के लिये पूर्ण रूप से भरा हुआ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित, आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त आवेदक को रसीद दी जायेगी आवेदन-पत्र निम्नांकित कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे :–

- तहसील/उप तहसील/उपखण्ड कार्यालय
- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति,
- नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम
- कोषागार/उपकोषागार
- जिला कलेक्टर कार्यालय

यदि मुद्रित आवेदन-पत्र उपलब्ध नहीं हो तो आवेदन-पत्र सादा कागज पर भी प्रस्तुत किया जा सकेगा या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वैब साईट [www.sje.rajasthan.gov.in](http://www.sje.rajasthan.gov.in) से या राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वैबसाइट [www.rajssp.raj.nic.in](http://www.rajssp.raj.nic.in) से डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ii) विहित प्रारूप में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी उसकी प्रविष्टि रजिस्टर एस.एस.पी.IIमें कराने की व्यवस्था करेगा। नए आवेदन-पत्र दर्ज करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उसने पूर्व में पेंशन के लिए कोई आवेदन नहीं किया था और न ही उसका कोई आवेदन-पत्र अस्वीकार ही किया

गया था। अस्वीकृत आवेदन—पत्रों के लिए अलग से एक सहायक पंजिका भी संधारित की जाएगी।

(iii) उसके बाद जांच अधिकारी उक्त आवेदन—पत्र की संवीक्षा करेगा और आवेदक की जन्म तिथि, आयु, अधिवास, निवास स्थान और आय या आजीविका के स्रोत की जांच करेगा। इन नियमों में यथा परिभाषित उसके परिवार के सदस्यों के विस्तृत ब्योरों का सत्यापन करेगा। वह जन्म तिथि/ आयु की जांच निम्नलिखित दस्तावेजों से, नीचे दिये गए अधिमान क्रम से करेगा :—

(क) स्कूल प्रमाण पत्र;

(ख) नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद/नगर निगम, पंचायतों द्वारा संधारित जन्म रजिस्टर/जन्म प्रमाण पत्र या

(ग) लोकसभा/विधानसभा/नगर निकाय की नवीनतम मतदाता नामावली, जिसमें आवेदक का नाम हो,

या

उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा दिया गया आयु प्रमाण पत्र जो उसके समक्ष पेंशनर के लिखित कथन प्राप्त होने पर तथा उस पर दो गवाहों, का समर्थन प्राप्त करके और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, दिया गया हो,

(घ) ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्लॉक उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिया गया आयु प्रमाण—पत्र।

(ङ) मात्र आयु का उल्लेख होने पर जन्म तिथि निर्धारण की प्रक्रिया— जिन प्रकरणों में सिर्फ आयु का उल्लेख हो ऐसे प्रत्येक पेंशनर की जन्म तिथि का निर्धारण निम्नांकित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा :—

(अ) पेंशनर्स की आयु अथवा जन्मतिथि का सत्यापन नियम – 5 (iii) में उल्लिखित अभिलेखों यथा— विद्यालय प्रमाणपत्र, नगर पालिका/नगर निगम/नगर परिषद/ग्राम पंचायत में संधारित जन्म पंजिका, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, यूनिक आईडी, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये आयु प्रमाणपत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल ब्लॉक उपमुख्य चिकित्सा एवं

स्वारथ्य अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के लिए मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिये गये आयु प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जा सकता है।

(ब) ऐसे आवेदक जिनकी जन्मतिथि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ऐसे प्रकरणों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयु का निर्धारण किया जा सकता है। यदि एक से अधिक अभिलेख उपलब्ध हों तो इन अभिलेखों में से जिस अभिलेख में अधिक आयु दर्शाई गई हो, को आयु माना जाये एवं यह निर्धारित आयु उस वर्ष की 30 जून को मानी जाये। तदनुसार उसकी जन्मतिथि उस वर्ष की 1, जुलाई को माना जाये।

(iv) जांच अधिकारी द्वारा सत्यापन का परिणाम और उस मामले में विचार करने के लिए कोई अन्य विशिष्ट सूचना, आवेदन-पत्र के प्रारूप एस.एस.पी.॥के भाग॥में अभिलिखित की जायेगी।

(v) सत्यापन आवश्यक रूप से आवेदन-पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम-2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का उत्तरदायित्व होगा।

(vi) जांच अधिकारी आवेदन पत्रों की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् मूल प्रारूप एस.एस.पी.॥को अपनी सिफारिशों के साथ स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) के पास स्वीकृति आदेशों के लिये ऑनलाइन भेजेगा।

(vii) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी प्रत्येक मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् या तो प्रारूप एस.एस.पी.॥ के भाग॥में पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति संबंधी आदेश, पारित करेगा एवं उसे ऑनलाइन भेजेगा। पेंशन स्वीकृत होने पर पेंशन की स्वीकृति के आदेश प्रारूप एस.एस.पी.॥॥सम्बन्धित कोषाधिकारी के नाम जारी करेगा। साथ ही स्वीकृति आदेश में यह भी प्रमाणित करेगा कि स्वीकृति में दिये गये तथ्यों की भली भाति जांच कर ली गई है तथा आवेदक स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित हुआ/हुई, जिसका फोटो से मिलान कर लिया गया है, जो सही है। इसकी दो हार्ड कॉपी (जिन पर पेंशनर की प्रमाणित फोटो लगी हो) सम्बन्धित

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को भेजी जायेगी तथा पेंशनर व्यक्ति एवं सम्बन्धित जांच अधिकारी को इसकी एक प्रति पृष्ठांकित करेगा। पेंशन अस्वीकृत होने की रिथति में इसकी सूचना स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा आवेदक को भी सूचित किया जायेगा। यह कार्य 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम-2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

(viii) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी दो रजिस्टर रखेगा, अर्थात् :-

- (क) स्वीकार किये गये सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों का रजिस्टर,
- (ख) अस्वीकार किये गये सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदनों का रजिस्टर -रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी।

(ix) पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जायेगा। पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश पर कोषालय/उपकोषालय में दर्ज होने की क्रम संख्या अंकित कर हस्ताक्षर किए जायेंगे तथा प्रारूप IV में पेंशन भुगतान का आदेश जारी कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। पेंशन भुगतान की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम-2011 में वर्णित निर्धारित समय सीमा में की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का अधिनियम के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

#### 6. पेंशन स्वीकृति :-

- (i) किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन पेंशन गुणावगुण के आधार पर देय होगी। जिन प्रकरणों में स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी किसी आवेदन पत्र को पेंशन स्वीकृति हेतु उचित नहीं मानता है, उसमें अस्वीकृति का कारण अभिलिखित करते हुए आवेदन अस्वीकृत करना होगा तथा जिन प्रकरणों में स्वीकृत पेंशन को रोकने का निर्णय लिया जाता है, उसमें भी संबंधित व्यक्ति को कारण सहित सूचित करना होगा।

(ii) सरकार आपवादिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन, विहित शर्तों को शिथिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत कर सकेगी।

#### 7. पेंशन की वैधता :-

- (i) बी.पी.एल सूची में सूचीबद्ध रहने तक, या
- (ii) वार्षिक आय निर्धारित सीमा में रहने तक।

8. पेंशन का प्रारम्भ :- पेंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किए जाने के माह की प्रथम तारीख से संदेय होगी।

#### 9. पेंशन की समाप्ति :-

- (i) पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन की अनाहरित रकम व्यपगत हो जाएगी।
- (ii) पेंशनर के राजस्थान के बाहर स्थाई या अस्थाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, पेंशनर के राजस्थान लौटने पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की तारीख से पेंशन का पुनः संदाय प्रारम्भ किया जा सकेगा लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की कालावधि के लिए प्रोद्भूत पेंशन की बकाया संदेय नहीं होगी।

#### 10. पेंशन की बकाया का संदाय :-

- (क) यदि पेंशन की रकम एक वर्ष या इससे अधिक की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है तो कोई बकाया संदेय नहीं होगा। तथापि, ऐसे मामलों में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन संदाय आदेश को नवीनीकृत करने के लिये सक्षम होगा।
- (ख) ऐसे मामलों में जहां पेंशन की रकम एक वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है वहां नियम 9 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्राधिकारी बकाया के संदाय के आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे :—
  - (1) यदि पेंशन की रकम 5 मास तक आहरित नहीं की जाये। सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी
  - (2) यदि पेंशन की रकम 5 मास से अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाये। सम्बन्धित जिले का कलकटर

11. अपील अधिकारी :— स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के पेंशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील जिला कलक्टर को की जाएगी। अपील स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने की तिथि से दो माह के भीतर की जानी चाहिए। तथापि, राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कलक्टर द्वारा पारित आदेश को गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित करते हुए पुनर्विलोकित कर सकेगा।
12. वार्षिक सत्यापन :— ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेंशनरों का प्रत्येक वर्ष मार्च माह में ग्राम सचिवालय व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाले कैम्पों में सरपंच एवं पटवारी पंचायतवार/ग्रामवार भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण पत्र सूची के रूप में तैयार कर विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी/उप—कोषाधिकारी को भिजवायेंगे। पेंशनर उसके निवास क्षेत्र के पटवारी और सरपंच द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र में रहने वाला पेंशनर उसके निवास क्षेत्र की नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम में पदस्थापित अधिशासी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। परन्तु पेंशनर व्यक्ति के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, पेंशनर व्यक्ति की मृत्यु या अन्य किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संदाय के हक से उसे वंचित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। सन्देह की स्थिति में पेंशन भुगतान अधिकारी पेंशनर को स्वयं देखेगा, उसके/उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेंशन संदाय आदेश में बतलाये गये पहचान चिन्हों के सन्दर्भ में अपनी संतुष्टि करेगा। उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा संधारित किए जाने वाले रजिस्टर एस.एस.पी.वी.में भौतिक सत्यापन का तथ्य अंकित किया जाएगा।
13. पेंशनर की मृत्यु की सूचना :— पेंशनर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पटवारी/ग्राम पंचायत/नगरनिकाय प्राधिकारी, अथवा पोस्ट ऑफिस/बैंक सम्बन्धित कोषाधिकारी/उप—कोषाधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें पेंशनर का नाम, पता, मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना प्राप्त होने पर उप—कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पंजिका

एस.एस.पी. संख्या Vमें लाल स्थाही से प्रविष्टि करेगा कि “श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ पिता/पति श्री \_\_\_\_\_ की तारीख \_\_\_\_\_ को मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त सूचना के आधार पर भुगतान बन्द किया गया”। उप-कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पेंशन बन्द करने के प्रत्येक मामले की सूचना कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा।

#### 14. कलेक्टर और कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण :—

- (i) जिला कोषागार का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर (जिला पेंशन एवं संवितरण अधिकारी) सामाजिक सुरक्षा पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण तथा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेगा।
- (ii) उप-कोषागार का निरीक्षण करते समय कोषाधिकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करेगा और अपने आपका समाधान करेगा कि उसके द्वारा स्वीकृत किये गये सभी मामले उप-कोषागार के रजिस्टरों में प्रविष्ट कर दिए गए हैं और भुगतान नियमित रूप से व यथा समय किए जाते हैं। वह अपने आपका इससे भी समाधान करेगा कि उप-कोषागार के रजिस्टरों में सुधार संबंधी प्रविष्टियां जैसे पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु या उसके पते में परिवर्तन, अविलम्ब की जाती हैं। निरीक्षण के समय पेंशन भुगतान की नमूना जांच भी करनी होगी।

#### 15. सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकार करने पर वर्जन (रोक) :—

उन व्यक्तियों को, जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है, राज्य की संचित निधि में से जैसे देवरथान निधि, मंत्रियों आदि के स्वविवेकाधीन रखे गये अनुदान से, किसी प्रकार की पेंशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवरथान निधि या अन्य स्त्रोत से पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों, तो वे उन्हें पूर्ववत् प्राप्त करते रहेंगे।

ते

अध्याय -4  
**सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन भुगतान की प्रक्रिया**

- 16.(i)कोषाधिकारी और उप-कोषाधिकारी पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे।
- (ii)कोषाधिकारी या उप-कोषाधिकारी द्वारा यथा स्थिति पेंशनर को पेंशन, मनीऑर्डर द्वारा या बैंक / पोस्ट ऑफिस बचत खाते/सरकार द्वारा विहित अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जायेगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।
- (iii)पेंशन, सम्बन्धित माह के समाप्त हो जाने के पश्चात् देय होगी। मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासंभव प्राप्त कर रखी जायेगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर के व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।
- (iv)यदि पेंशनर पेंशन का भुगतान व्यक्तिगत चाहे तो किया जायेगा। अगर पेंशनर शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जायेगा। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेंशनर को प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को देना होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिभावक द्वारा निहित प्रपत्र एस.एस.पी.IXमें एक बंध-पत्र निष्पादित किया जाएगा कि वह आवेदक का भरण-पोषण करता रहेगा। पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा :—

“मैं (नाम) ..... पुत्र ..... निवासी .....  
..... जिला ..... स्वीकार करता हूँ कि  
.....(नाम पेंशन पाने वाले का) को जो राज्य सरकार से पेंशन स्वीकृत  
है, मैं उसका पालन पोषण करूँगा।”

दिनांक .....

हस्ताक्षर संरक्षक

।।।


परन्तु मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्ति को पेंशन का भुगतान राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्ठ घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (नेशनल ट्रस्ट एकट) के अन्तर्गत नियुक्त अभिभावक को ही देय होगा।

(v) पेंशन राशि का भुगतान कोषाधिकारी और उप-कोषाधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक करेंगे।

(vi) यदि वह निरक्षर हो तो किसी साक्षर साक्षी की उपस्थिति में जो मनीऑर्डर रसीद पर उसके हस्ताक्षरों को, प्रमाणित करेगा, मनीऑर्डर की रसीद पर निराश्रित के अंगूठे के निशान लगवाए जाएंगे।

(vii) पेंशन के संदाय, लेखा आदि (हिसाब-किताब) के रखे जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में अन्तर्विष्ट है।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(अदिति मेहता)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

## परिशिष्ट 'क'

### 1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेखा संख्या का आवंटन :-

- (i) ये अनुदेश, लेखा प्रक्रिया पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान से संबंधित हैं, जिनका उप खण्ड अधिकारी/कोषाधिकारी और उप-कोषाधिकारी को अनुसरण करना चाहिये।
- (ii) किसी पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् उप खण्ड अधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी रजिस्टर एस.एस.पी. Vमें पेंशनर की विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा तथा राज्य एवं जिले के नाम के संक्षिप्ताक्षर के पहले मार्गदर्शी (गाइड) स्वरूप विशेष योग्यजन पेंशन लेखा संख्या लगाते हुए "एस.ए.पी." मार्गदर्शी अक्षर अंकित करते हुये उस कोष / तहसील के पेंशन भुगतान के आदेश पर उप खण्ड अधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले पी.पी.ओ. में 00 एवं उपकोषाधिकारी के लिए जारी किये जाने वाले पी.पी.ओ. में 1 से 10 अथवा आगे के नम्बर (उपकोषों की संख्या के अनुसार) के आगे सतत् क्रम संख्या लगाएगा और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, पेंशनर तथा संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को विशेष योग्यजन पेंशन भुगतान आदेश की संख्या से संसूचित करेगा।
- (iii) विशेष योग्यजन पेंशन भुगतान आदेश प्रारूप एस.एस.पी. IVमें स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिवस में जारी किया जायेगा। पेंशन भुगतान आदेश तीन प्रतियों में होगा – एक प्रति पेंशन प्राप्तकर्ता या पेंशनर को या जीवन प्रमाण-पत्र के आधार पर उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, दूसरी प्रति कोषागार या उप कोषागार के लिए होगी, जिसे भुगतान का अभिलेख रखने के लिए कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी के पास रखा जाएगा एवं तीसरी प्रति स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय के लिये होगी। पेंशनर का फोटो कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी की प्रति पर चिपकाया जाएगा।
- (iv) कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन संवितरण का अभिलेख एस.एस.पी. VIIIमें संधारित किया जायेगा।

2. मनीआर्डर या बैंक/पोस्ट आफिस बचत खाते/आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली द्वारा पेंशन का भुगतान :-

- (i) पेंशन का भुगतान मनीआर्डर या बैंक बचत खाते/पोस्ट आफिस के बचत खाते/आधार कार्ड आधारित भुगतान अथवा सरकार द्वारा विहित किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से किया जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पेंशनों की स्वीकृति इस कार्य हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन जारी की जाकर, यथासम्भव भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस के बचत खाते के माध्यम से ही किया जावे।
- (ii) जहां पर विशेष योग्यजन पेंशन का भुगतान मनीऑर्डर द्वारा किया जाना हो, प्रत्येक पेंशनर के लिए मनीऑर्डर फार्म अलग से भरा जाएगा, और उस पर लाल स्थाही में 'राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन योजना' की रबर सील लगाई जाएगी। इसी प्रकार से मनीऑर्डर पावती कूपन पर भी लाल स्थाही से 'राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन योजना' की रबर सील लगाई जाएगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मनीऑर्डर फार्म में लिखा गया पता सही है। मनीऑर्डर रसीद के प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी के लघु हस्ताक्षरों सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के रजिस्टर एस.एस.पी. VI के समुचित स्तम्भ में प्रत्येक भुगतान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के आदेश की प्रविष्टि की जाएगी।
- (iii) (क) कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी को मनीऑर्डर द्वारा भेजी गयी पेंशन के लेखे के यथोचित रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होंगे। वे समस्त प्रेषणों के लिए की प्राप्तकर्ताओं की अभिस्वीकृतियों को देखें और प्राप्ति के पश्चात् उनको क्रम से व्यवस्थित करेंगे, उन पर निरस्त करने की सील लगवायेंगे और रजिस्टर एस.एस.पी. VI में अभिलिखित करेंगे। यदि मनीऑर्डर की अभिस्वीकृति रसीद 30 दिन तक भी प्राप्त नहीं होती है या पेंशन के भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त होती है तो वह डाक प्राधिकारियों और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसकी जांच करायेगा। कपटपूर्ण भुगतान के मामले की जांच की जाएगी और उसकी रिपोर्ट कलक्टर को की जाएगी। भुगतान नहीं हुए या डाक प्राधिकारियों द्वारा लौटाए गए मीनऑर्डरों की रजिस्टर एस.एस.पी. X में प्रविष्टि की जाएगी। अवितरित राशि आगामी मास के संबंधित लेखा शीर्ष में मानइस डेबिट और माइनस क्रेडिट के द्वारा प्रतिदाय कर दी जानी चाहिए। अवितरित रकम का

पश्चात्वर्ती भुगतान भली प्रकार जांच और सत्यापन के पश्चात किया जाना चाहिए और रजिस्टर एस.एस.पी. X में आवश्यक प्रविष्टि कर दी जानी चाहिए।

(ख) कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी, कोषागार में मासिक लेखे की संबंधित अनुसूची के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र यथारिति, सलंगन या अभिलिखित करेगा :—

“प्रमाणित किया जाता है कि सभी मामलों में गत मास के मनीआर्डरों की अभिस्थीकृतियां प्राप्त हो गई हैं और अवितरित लौटाए गए मनीआर्डरों की रकम संबंधित लेखा शीर्ष में माइनस-डेबिट द्वारा कोषागार में वापिस प्रेषित कर दी गई है।”

(ग) मनीआर्डर के कमीशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के कारण व्यय सम्बन्धित पेंशन के लेखा शीर्षक पर भारित होगा।

(घ) कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी प्रतिमाह लौटकर आने वाले मनीऑर्डरों के लेखों का संधारण एस.एस.पी. VII “मनीऑर्डर वापसी रजिस्टर” में करेंगे।

3. पेंशन के भुगतान के लिए बिलों द्वारा धन का आहरण :—

(i) कोषागार/उपकोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपरिथित होकर पेंशन का भुगतान चाहने वाले पेंशनरों को नकद में पेंशन के भुगतान हेतु अग्रिम आहरण के लिए उप-कोषाधिकारी/कोषाधिकारी संक्षिप्त बिल (एब्स्ट्रक्ट कॉन्टीजेन्ट बिल) के द्वारा रूपये आहरित करेगा।

4. पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण :— पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा पते में परिवर्तन की सूचना दी जाए तो उप-कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :—

(i) यदि नया पता उसी तहसील में हो तो उप-कोषाधिकारी रजिस्टर एस.एस.पी. V के समुचित स्तम्भ में संशोधन करेगा और कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को उनके द्वारा आवश्यक सुधार के लिए नया पता सूचित करेगा। प्रत्येक ऐसे अवसर पर उप-कोषाधिकारी पेंशनर के अस्तित्व में बने रहने को सत्यापित करने और यह देखने के लिए कि क्या उसका लगातार पेंशन दिए जाने या नहीं दिए जाने की परिस्थितियां निर्धारित हैं, आवश्यक कदम उठाएगा।

(ii) यदि नया पता उसी जिले की किसी अन्य तहसील में हो तो उप-कोषाधिकारी जिले के कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को सूचित करते हुए रजिस्टर एस.एस.पी. संख्या V में लाल स्थाही से इस आशय की एक प्रविष्टि करेगा कि पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण सम्बन्धित उप-कोषाधिकारी को

किया गया। वह उप-कोषाधिकारी, जिसे पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण किया गया है, अपने अधिकार क्षेत्र में पेंशनर के अस्तित्व में बने रहने और लगातार पेंशन दिए जाने की परिस्थितियों के अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेंशन का भुगतान प्रारम्भ करेगा।

- (iii) उप-कोषागार से जिला कोषागार में और जिला कोषागार से उप-कोषागार में पेंशन भुगतान आदेश के अन्तरण के मामले में पैरा (ii) में अधिकथित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
- (iv) यदि पेंशनर अपने निवास के जिले से भिन्न कोषागार या उप कोषागार में पेंशन का भुगतान चाहे तो उस दशा में संबंधित उप-कोषाधिकारी अपने जिले के कोषाधिकारी के पास पेंशन भुगतान आदेश को भेजेगा जो कि राज्य के अन्य जिले के कोषाधिकारी को, जिससे कि वह पेंशन प्राप्त करना चाहे, उसके पेंशन संबंधी दस्तावेज भेजने की व्यवस्था करेगा। कोषाधिकारी/ उप-कोषाधिकारी संबंधित रजिस्टरों में इस आशय का नोट लाल स्थानी से लगाएगा। नया कोषाधिकारी नये पेंशन भुगतान आदेश की संख्या का आवंटन करेगा और इसके पश्चात् उप-कोषाधिकारी को, अपने क्षेत्र में पेंशनर का अस्तित्व में बने रहना और पेंशन स्वीकृति की परिस्थितियों बनी रहना अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेंशन के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए पेंशन भुगतान आदेश भेजेगा।

(v) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में स्थानान्तरण :-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभान्वितों के इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन हेतु निर्धारित पात्रता की शर्त पूर्ण करने पर आगामी माह की 1 तारीख से सम्बन्धित लाभान्वित को इन राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के संगत वर्ग में स्थानान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा एवं लाभान्वित को केन्द्रीय अंश का भुगतान भी सम्बन्धित राष्ट्रीय पेंशन योजना के निर्धारित बजट मद से किया जायेगा। यह कार्य सम्बन्धित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा प्रतिमाह समीक्षा कर स्थानान्तरित होने योग्य लाभार्थियों को चिह्नित कर किया जायेगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित राष्ट्रीय पेंशन योजना में नई स्वीकृति जारी करवाकर पुरानी को रद्द करायेगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित उप कोषाधिकारी को भी दी जायेगी।